प्रेस नोट
दिनांक 25.02.2026
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर, पुलिस द्वारा महिला की संदिग्ध मृत्यु प्रकरण में नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–171/26 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त–शहरूख उर्फ रियाज पुत्र राजू उर्फ इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.02.2026 को थाना को0 नगर जनपद गोण्डा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत एक महिला नाजरा खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी है। मृतका मूल रूप से जनपद जालौन की निवासी थी तथा लगभग 10 वर्ष पूर्व उसका विवाह थाना को0 नगर क्षेत्र के निवासी शहरूख उर्फ रियाज से हुआ था। सूचना पर तत्काल थाना को0 नगर पुलिस बल एवं उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। प्रकरण के सम्बन्ध में एक वीडियो भी संज्ञान में आया है, जिसमें मृतका द्वारा अपने मायके पक्ष को यह अवगत कराया जा रहा है कि उसके पति द्वारा उसे निरंतर प्रताड़ित किया जाता था। मृतका के पिता अलताब हुसैन पुत्र मो0 हुसैन निवासी ग्राम चकेला थाना कदौरा जनपद जालौन की लिखित तहरीर के आधार पर ससुरालीजनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु प्र0नि0 को0 नगर को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये थे। जिसमें आज दिनांक 25.02.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मृतका के पति शहरूख उर्फ रियाज पुत्र राजू उर्फ इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. शहरूख उर्फ रियाज पुत्र राजू उर्फ इलियास निवासी कटहाघाट गजनी आरा मशीन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–171/26 धारा 103(1) बीएनएस थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी थाना को0 नगर मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 25.02.2026</u>

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का खुलासा, अन्तर्जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से नगदी व जेवरात, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद–

कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए शातिर चोर चुनमुन चौहान पुत्र जयकरन चौहान निवासी ग्राम मल्लूसिंह पुरवा मौजा झाला तरहर थाना पयागपुर जनपद बहराइच को कुरासी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 55,615/– नगद व सफेद व पीली धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल व चोरी करने के उपकरण बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 22/23.02.2026 की रात्रि में सदाशिव बाजार, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा में अज्ञात चोरों द्वारा तीन दुकानों में सेंध लगाकर चोरी की घटना कारित की गयी थी। राजकुमार पुत्र माता प्रसाद की दुकान/घर से सोने–चांदी के आभूषण व लगभग ₹30,000/– नकद, प्रशान्त कुमार पुत्र अनिल कुमार की दुकान से लगभग ₹6,000/– नकद तथा तवकीर खां पुत्र नजीर खां की पान की दुकान से पान सामग्री व लगभग ₹2,000/– नकद चोरी कर लिये गये थे। वादी राजकुमार पुत्र माताप्रसाद की लिखित तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए शातिर चोर चुनमुन चौहान पुत्र जयकरन चौहान निवासी ग्राम मल्लूसिंह पुरवा मौजा झाला तरहर थाना पयागपुर जनपद बहराइच को कुरासी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगदी व जेवरात, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल व चोरी करने के उपकरण बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त चुनमुन चौहान पुत्र जयकरन चौहान निवासी ग्राम मल्लूसिंह पुरवा मौजा झाला तरहर थाना पयागपुर जनपद बहराइच द्वारा बताया गया कि वह अपने अन्य साथियों शिवकुमार पुत्र बुधिराम चौहान, रोशन लाल पुत्र चन्द्रिका चौहान तथा सुजान चौहान पुत्र कोकई चौहान, निवासीगण जनपद बहराइच, के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटनाएँ कारित करता है। अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 22/23.02.2026 की रात्रि में चारों लोग उसकी मोटर साइकिल महिन्द्रा सेनच्यूरो से थाना इटियाथोक क्षेत्र के सदाशिव बाजार पहुँचे, जहाँ दुकानों के शटर व दीवार काटकर चोरी की तथा एक छप्परनुमा मकान में पीछे से नकब लगाकर नगद धनराशि व जेवरात चोरी किये, जिन्हें आपस में बांट लिया गया। इसी क्रम में दिनांक 19/20.02.2026 की रात्रि में थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम तुलसीपुर मांझा में घरों की छत के रास्ते प्रवेश कर अलमारी खोलकर नगद धनराशि एवं सोने–चांदी के आभूषण चोरी किये, जिसमें से ₹50,000/– व ₹3,000/– नगद तथा कुछ चांदी के जेवर उसके हिस्से में आये, जो उसके कब्जे से बरामद हुए, जबकि शेष जेवर साथी रोशन लाल अपने पास ले गया था। अभियुक्त ने बताया कि चोरी की घटनाओं में लोहे की छैनी, पाइप व चौकोर लोहे का

टुकड़ा सेंध लगाने व शटर तोड़ने में प्रयोग किये जाते थे तथा पूर्व में जनपद बहराइच में मुकदमे दर्ज होने और पुलिस की तलाश के कारण वह अपने साथियों के साथ पड़ोसी जनपदों में अपराध करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. चुनमुन चौहान पुत्र जयकरन चौहान निवासी ग्राम मल्लूसिंह पुरवा मौजा झाला तरहर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

बरामदगी–

01. नगद ₹55,615/–
02. 01 अदद मंगलसूत्र (पीली धातु)
03. 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु)
04. 20 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु)
05. 02 जोड़ी बच्चों के कंगन (सफेद धातु)
06. 01 अदद मोटर साइकिल महिन्द्रा सेनच्यूरो
07. चोरी में प्रयुक्त औजार– 01 लोहे की छैनी, 01 लोहे का पाइप, 01 लोहे का चौकोर टुकड़ा

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–046/26 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–49/26 धारा 331(4)/305, 317(2) बी0एन0एस0, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

अभियुक्त चुनमुन चौहान का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–364/2020 धारा, 380/411/457 भा0द0वि0 थाना फखरपुर जनपद बहराइच।
02. मु0अ0सं0–444/2020 धारा, 380/411 भा0द0वि0 थाना फखरपुर जनपद बहराइच।
03. मु0अ0सं0–438/2020 धारा, 380/411 भा0द0वि0 थाना हजूरपुर जनपद बहराइच।
04. मु0अ0सं0–0064/2020 धारा, 380/411/457/413 भा0द0वि0 थाना मोतीपुर जनपद बहराइच।
05. मु0अ0सं0–0013/2020 धारा, 380/411/457 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज जनपद बहराइच।
06. मु0अ0सं0–104/2022 धारा, 401 भा0द0वि0 थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
07. मु0अ0सं0–108/2022 धारा, 4/25 आयुध अधि0 थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
08. मु0अ0सं0–289/2022 धारा, 4/25 आयुध अधि0 थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
09. मु0अ0सं0–193/2020 धारा, 380/411/457 भा0द0वि0 थाना रानीपुर जनपद बहराइच।
10. मु0अ0सं0–144/2020 धारा, 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना रिसिया जनपद बहराइच।
11. मु0अ0सं0–0010/2020 धारा, 380/411/457/413 भा0द0वि0 थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
12. मु0अ0सं0–816/2019 धारा, 380/411/457/413 भा0द0वि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
13. मु0अ0सं0–0062/2025 धारा, 305(ब)/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 थाना जी0आर0पी गोण्डा जनपद जी0आर0पी0 अनुभाग गोरखपुर।
14. मु0अ0सं0–0046/2020 धारा, 34/380/411/414/457 भा0द0वि0 थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।
15. मु0अ0सं0–0052/2020 धारा, 34/380/411/414/457 भा0द0वि0 थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।
16. मु0अ0सं0–202/2024 धारा, 380/411/457 भा0द0वि0 थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
17. मु0अ0सं0–269/2024 धारा, 305/317(2)/331 बी0एन0एस0 थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
18. मु0अ0सं0–271/2024 धारा, 380/411/457 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
19. मु0अ0सं0–0509/2024 धारा, 305/317(2)/331(1) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
20.मु0अ0सं0–297/2024 धारा, 380/411/457 भा0द0वि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

21.मु0अ0सं0–298/2024 धारा, 380/411/457 भा0द0वि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
22.मु0अ0सं0–512/2024 धारा, 305/331(4) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
23. मु0अ0सं0–369/2020 धारा, 380/411/457 भा0द0वि0 थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
24. मु0अ0सं0–435/2024 धारा, 317(2)/317(4)/341(2) थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 आनन्द दूबे।
02. उ0नि0 राजेश दूबे।
03. कां0 श्रवण मिश्रा।
04. कां0 दीपक कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.02.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आपराधिक विश्वासघात कर जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–026/2026 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),3(5),61(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त–हरीराम पुत्र छोटेलाल निवासी मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को मिश्रौलिया ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
प्रार्थिनी लाल देवी पत्नी अवधेश कुमार तिवारी नि० ग्राम वीरपुर सूबेदार थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसे उसके पिता राम अनोखे से वर्ष 2012 व 2014 में विधिवत बैनामा के माध्यम से समस्त कृषि भूमि प्राप्त हुई थी, जो खतौनी में दर्ज है तथा उस पर उसका वैध कब्जा है। उक्त बैनामे की मन्सूखी हेतु पूर्व में छोटे लाल द्वारा दीवानी वाद दायर किया गया था, जो विचाराधीन है। छोटे लाल की मृत्यु के पश्चात हरीराम पुत्र छोटे लाल निवासी मनोहर जोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रार्थिनी के स्थान पर किसी अन्य का अंगूठा निशान लगाकर भूमि का फर्जी बैनामा कराने का प्रयास किया तथा रजिस्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत किया। रजिस्ट्री से इन्कार होने पर जिला रजिस्ट्रार/ए०डी०एम० न्यायालय में अपील दायर की गयी, जो दिनांक 10.12.2025 को नियत है। प्रार्थिनी का कथन है कि उसने कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया, न कोई धनराशि प्राप्त की और न ही किसी कागज पर अंगूठा लगाया है। विपक्षीगण द्वारा षड्यंत्रपूर्वक जालसाजी कर संपत्ति हड़पने का प्रयास किया गया है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 25.02.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त हरीराम पुत्र छोटेलाल निवासी मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को मिश्रौलिया ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तग के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. हरीराम पुत्र छोटेलाल निवासी मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–026/2026 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),3(5),61(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. अति0प्र0नि0 सभाजीत सिंह।
02. कां0 अमित तोमर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 25.02.2026</u>

”आपरेशन खोज“ के अंतर्गत गुमशुदा बालक को सकुशल परिजनों को किया गया सुपुर्दः–

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०प्र०, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर के निर्देशानुसार तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक, गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संचालित विशेष अभियान ”आपरेशन खोज“ के क्रम में दिनांक 26.02.2026 को जनपद में सघन चेकिंग/निरीक्षण अभियान चलाया गया।अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर–4 के सामने सीढ़ियों पर लगभग 12 वर्ष का एक बालक मायूस अवस्था में बैठा मिला। पूछताछ करने पर बालक प्रारम्भ में डरा एवं सहमा हुआ था तथा अपना नाम ”अभय“ बताया, परंतु पिता का नाम व अन्य विवरण बताने में हिचकिचा रहा था। विश्वास में लेकर एवं रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन की केश वर्कर श्रीमती अलका पाण्डेय की उपस्थिति में समझाने पर बालक रोने लगा और बताया कि आज सुबह उसकी मां द्वारा पढ़ाई एवं मोबाइल देखने को लेकर डांटने एवं दो थप्पड़ मारने पर वह नाराज होकर बिना बताए घर से निकल आया था और किसी ट्रेन से कहीं भी चले जाने की सोच रहा था। पुनः पूछताछ में बालक ने अपना नाम अभय वर्मा पुत्र रामशंकर उर्फ डब्ल्यू वर्मा निवासी ग्राम नौबरा बताया तथा मां का नाम श्रीमती ज्योति वर्मा बताया। पिता के दिल्ली में कार्यरत होने की जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक द्वारा सी–प्लान ऐप के माध्यम से गांव की जानकारी प्राप्त कर ग्राम के सम्भ्रान्त व्यक्ति श्री हनुमान दुबे से संपर्क किया गया, जिन्होंने पुष्टि की कि उक्त बालक आज सुबह से घर से लापता है और परिवारजन उसकी तलाश कर रहे हैं। तत्पश्चात श्रीमती ज्योति वर्मा से दूरभाष पर संपर्क स्थापित कर उन्हें रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर–1 स्थित रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय पर बुलाया गया। सूचना पर श्रीमती ज्योति वर्मा ग्रामवासी श्री संदीप यादव के साथ उपस्थित हुईं। आवश्यक पूछताछ एवं सत्यापन उपरांत बालक एवं उसकी माता को परामर्श देते हुए, बाल कल्याण समिति से वार्ता कर नियमानुसार बालक को उसकी माता श्रीमती ज्योति वर्मा एवं ग्रामवासी श्री संदीप यादव की सुपुर्दगी में सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया। अभियान के दौरान प्र0नि0 लालबिहारी, उ0नि0 श्री गऊचरन, महिला आरक्षी मीनू यादव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप, अपराजिता सामाजिक समिति गोण्डा के श्री आत्रेय त्रिपाठी एवं रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन की केश वर्कर श्रीमती अलका पाण्डेय उपस्थित रहे।

<u>जनपद पुलिस द्वारा अपीलः</u>

अभिभावक अपने बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें तथा किसी भी परिस्थिति में बच्चों को घर छोड़कर जाने जैसी स्थिति उत्पन्न न होने दें। किसी भी बालक/बालिका के संदिग्ध अवस्था में मिलने पर तत्काल पुलिस अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित करें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 25.02.2026</u>

<u>बाल एवं किशोर श्रम मुक्त भारत जागरूकता अभियान के अंतर्गत एएचटी टीम द्वारा सघन चेकिंग, 02 सेवा नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही:–</u>

आज दिनांक 26.02.2026 को शासन द्वारा संचालित बाल एवं किशोर श्रम मुक्त भारत जागरूकता अभियान, मानव तस्करी, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री मनोज कुमार रावत के कुशल मार्गदर्शन में थाना ए.एच.टी. टीम द्वारा थाना कोतवाली देहात एवं कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत संचालित दुकानों, होटलों एवं मोटर गैराजों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बाल श्रम निषेध से संबंधित शासन की नीतियों एवं दण्डात्मक प्रावधानों के संबंध में दुकानदारों/नियोजकों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। चेकिंग के दौरान 03 बालक, 02 सेवा नियोजकों के यहां कार्य करते पाए गए। इस पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप द्वारा संबंधित सेवा नियोजकों के विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणी काटते हुए विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। अन्य नियोजकों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी प्रकार का बाल श्रम कराते पाए जाने पर थाना एएचटी प्रभारी द्वारा कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसी क्रम में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करते हुए महिला संबंधी अपराधों, मानव तस्करी एवं बाल शोषण के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही आमजन को विभिन्न टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरोंकृ 1090 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 181 (महिला सहायता), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड लाइन), 102/108 (एम्बुलेंस सेवा) एवं 1930 (साइबर हेल्पलाइन) की जानकारी प्रदान की गई। एएचटी प्रभारी द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें तथा यदि कहीं भी होटल, ढाबा, चाय की दुकान अथवा अन्य प्रतिष्ठानों पर बालक/बालिका कार्य करते दिखाई दें तो तत्काल चाइल्ड लाइन 1098 अथवा 112 पर सूचना दें।

<u>इस अवसर पर प्र0नि0 लालबिहारी (थाना ए0एच0टी0), उ0नि0 श्री गऊचरन, महिला आरक्षी मीनू यादव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप, श्री आत्रेय त्रिपाठी (अपराजिता सामाजिक समिति) सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।</u>

<u>जनपद पुलिस बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु पूर्णतः संकल्पबद्ध है तथा इस प्रकार के जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेंगे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>